



नारी सुरक्षा  
नारी सम्मान  
नारी स्वावलम्बन

# फतेहगढ़ पुलिस



\* मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण \*

#OperationConviction

दिनांक-11.05.2026

थाना मेरापुर

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनक्विशन” अभियान व “ मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण ” के दृष्टिगत महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त नीतेन्द्र उर्फ सिन्दू पुत्र प्रेमसिंह निवासी श्योगनपुर थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़ मु0अ0स0- 100/2017 वाद संख्या 72/2017 धारा 376,511 भा0द0वि0 ¾ सपठित धारा 18 पाक्सो एक्ट थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट द्वारा दिनांक 11.05.2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 40000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री तेजी सिंह



एडीजीसी -श्री विकास कुमार



को0 मो0 मा0 का0 प्राची



पैरोकार -हे0 का0 श्याम जी



# फतेहगढ़ पुलिस



\* मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण \*

#OperationConviction

दिनांक-11.05.2026

थाना नवाबगंज

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान व “ मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण ” के दृष्टिगत महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त हिमांशु पुत्र सुरवेन्द्र सिंह निवासी ग्राम मंझना थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ मु0अ0स0- 162/2022 वाद संख्या 1014/2022 धारा366,376,323,504,326(क),302 भादवि0 व 3(1)द,3(1)ध,3(2)v व 3(1)a एससी/एसटी एक्ट थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा0 न्यायालय एडीजे-2/एससी एसटी कोर्ट द्वारा दिनांक 11.05.2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास की सजा व 160000/-रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



एडीजीसी - श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय



एडीजीसी - श्री अनुज कुमार कटियार



को0 मो0 हे0 का0 प्रमोद कुमार



पैरोकार - का0 कृष्णवीर